



**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाडा**

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 121/2024

उनवान

1. बसन्ती देवी पत्नी भंवर लाल जाति दशोगा नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. विनिता देवी पत्नी पवन कुमार बाफना नि० कविनगर तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. राकेश पुत्र शान्ति लाल जैन नि० पुर, भीलवाडा तह० भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज.)
3. कालू लाल पुत्र ब्रजमोहन पारीक नि० कविनगर तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. महेश कुमार पुत्र ब्रजमोहन पारीक नि० कविनगर तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. निखिल पुत्र मांगीलाल पारीक नि० कविनगर तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. सुशीला देवी पत्नी सागरमल बाफना जाति महाजन नि० कविनगर तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
7. रिकू देवी पत्नी गोतम कुमार बाफना जाति महाजन नि० कविनगर तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)

—अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956**  
निर्णय दिनांक 02-01-2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 01-08-2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ प०ह० हमीरगढ भू०अ०नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा की खाता संख्या 809 की आ.न. 1069/1 रकबा 0.2655 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2655 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.08.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 07 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम हमीरगढ प०ह० हमीरगढ भू०अ०नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा की खाता संख्या 809 की आ.न. 1069/1 रकबा 0.2655 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2655 है० भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 02.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ